ट्रैफिक अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, लिया स्वत : संज्ञान

चालानी कार्रवाई, ट्रैफिक प्लॉन और भारी वाहनों के नियंत्रण पर की तीखी टिप्पणी

इंदौर. पिछले महीने एयरपोर्ट रोड पर हुए गंभीर हादसे के बाद राज्य की शीर्ष अदालत ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है. मामले में स्वत: संज्ञान लेने के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली, चालान प्रणाली और क्रियान्वयन की धीमी गति को लेकर तीखी टिप्पणियां कीं.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर नो एंट्री के बावजूद ट्रक के प्रवेश से हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई में ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त नाराजगी जताई. मामले में स्वत: संज्ञान लेने वाली युगलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च पुलिस अधिकारियों को तलब किया. सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद शहर में 1244 चालान बनाए गए हैं. इस पर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या स्वयं इस बात का प्रमाण है कि नियम तोड़ने की गुंजाइश ही बनी रही. कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य उल्लंघन होते ही चालान काटना नहीं, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना होना चाहिए.

कोर्ट में पेश एक्शन प्लॉन का जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा पालन

कोर्ट ने यह भी कहा कि कई स्थानों पर जवान नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए पेड़ों के पीछे खड़े रहते हैं, जबकि सड़कों पर उनकी मौजूदगी ही दुर्घटनाओं को रोक सकती है. पीठ ने यह भी पूछा कि क्या किसी निश्चित तिथि तक चालान का लक्ष्य पूरा करने का दबाव होता है. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ट्रैफिक सुधार योजना पर भी कोर्ट द्वारा सवाल उठाए गए. न्यायाधीशों ने कहा कि 75 दिन पहले जो एक्शन प्लान अदालत में पेश किया था, उसका पालन जमीनी स्तर पर होता नहीं दिख रहा है. अदालत ने विशेष रूप से पूछा कि भारी वाहनों के प्रवेश, नो एंट्री व्यवस्था और बढ़ते हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति क्यों लागू नहीं की गई.

ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी जता चुकी नाराजगी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिबंधित समय के बावजूद भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले भी सामने आ रहे हैं. अधिकारियों ने तर्क दिया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े बड़े वाहनों को अनुमति दी गई है और जागरूकता अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वॉलंटियर भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब 600 से अधिक हो चुकी है. ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी पहले अपनी नाराजगी जता चुकी है. इस बीच, इंदौर खंडपीठ ने भी शहर के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को 27 नवंबर को हाजिर रहने के आदेश दिए हैं. पहले पेश किए गए एक्शन प्लान के बावजूद सड़कों पर अतिक्रमण, चौराहों पर जाम और पुलिस की केवल चालानी कार्रवाई पर निर्भरता जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

स्विमिंग कोच ने बिल्डिंग से लगाई मौत की छलांग

- घटना से पहले लिव इन पार्टनर से हुआ था विवाद
- दोनों10 साल से रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में

इंदौर. राऊ क्षेत्र में बुधवार देर रात एक स्विमिंग कोच ने फ्लैट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के हिस्से के रूप में महिला के लिव-इन पार्टनर को हिरासत में ले लिया है.

एएसपी कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि बुधवार देर रात करीब एक बजे राऊ बायपास स्थित पलाश परिसर में 33 वर्षीय स्विमिंग कोच निकिता कजरिया मृत पाई गईं. नीचे गिरा शव देखने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर थाना प्रभारी राज राठौर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि निकिता पिछले लगभग दस वर्षों से असीम राजन नाम के युवक के साथ लिव-इन में रह रही थीं और दोनों इसी फ्लैट में किराए पर रहते थे. पुलिस ने रात में ही असीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं, दोस्तों से की जा रही पूछताछ

फिलहाल, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हैं. पुलिस निकिता के दोस्तों और परिवार से भी जानकारी जुटा रही है कि क्या वह किसी तनाव या निजी विवाद से गुजर रही थीं. निरीक्षण के दौरान पुलिस को किचन में गैस सिलेंडर खुला मिला. एएसपी के अनुसार, निकिता ने संभवत: पहले आग लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर बालकनी से छलांग लगा दी. घटना से पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

परिवार में लगातार हो रही मौत से टूटा सब्र, महिला ने फांसी लगाई

- फांसी लगाने से पहले 5 साल के बच्चे को सुलाया
- पति को वीडियो कॉल करने के बाद कर ली आत्महत्या

इंदौर. एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने पहले अपने पांच साल के बच्चे को सुलायाऔर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या से ठीक पहले उसने अपने पति को वीडियो कॉल भी किया. पुलिस के मुताबिक परिवार में लगातार हो रही मौतों के कारण डिप्रेशन में थीं. महिला के पहले पति, दो भाइयों और हाल ही में बुआ की मौत हो चुकी थी, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में थी.

एरोड्रम थाना अंतर्गत आराधना नगर निवासी मुस्कान पति शिवा खेडेकर (24 वर्ष) ने शाम करीब सात बजे फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने बताया कि फांसी लगाने के कुछ मिनट पहले मुस्कान ने अपने पति शिवा को वीडियो कॉल किया. उस समय शिवा तीन इमली क्षेत्र के एक गोदाम में काम कर रहा था. कॉल के दौरान ही मुस्कान अचानक चुप हो गई और फंदा तैयार करने लगी. यह देख शिवा घबरा गया, उसने तुरंत कॉल समाप्त कर अपने मालिक को जानकारी दी. मालिक ने परिचित को मौके पर भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

पहले पति की मौत के बाद मुस्कान ने दो वर्ष पूर्व शिवा से की थी शादी

पुलिस तफ्तीश में यह सामने आया कि मुस्कान की दो वर्ष पहले शिवा से शादी हुई थी और उसका एक पांच साल का बेटा है, जिसे उसने आत्महत्या से पहले सुला दिया था. परिजनों ने पुलिस को बताया कि मुस्कान अपने परिवार में लगातार हो रही मौतों से बेहद टूट चुकी थी, उसके पहले पति की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी. एक साल पहले एक भाई सड़क दुर्घटना में ही चला गया. जबकि दूसरे भाई ने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी. हाल ही में तीन दिन पहले उसकी बुआ का निधन हुआ था. पिता का देहांत भी कई वर्ष पहले हो चुका था. बुआ की मौत के बाद से मुस्कान और गहरे अवसाद में चली गई थी. बहरहाल, पुलिस मर्ग कायम कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से अधेड़ की मौत

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र में अरंडिया बायपास पर एक ट्रक की टक्कर से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब मुंडला दोस्त उज्जैनी निवासी गजराज सिंह तंवर अपने परिचित से मिलने झलारिया इलाके आए थे. रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरजस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में ट्रक चालक ने दावा किया कि हादसे में उसकी कोई गलती नहीं है, हालांकि पुलिस पूरे घटनाक्रम का सत्यापन कर रही है. हादसे के कारणों का स्पष्ट पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

एक नजर में

इनामी चोर अब भी फरार, कई राज्यों में वांछित आरोपी का सुराग नहीं

इंदौर. शहर में आउटर कॉलोनियों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद भी उसका साथी पुलिस की पहुंच से बाहर है. इनामी चोर पर कई राज्यों में गंभीर अपराध दर्ज हैं, बावजूद इसके उसकी तलाश में लगी टीमें खाली हाथ लौट रही हैं. कनाड़िया, विजयनगर, लसुड़िया और तेजाजी नगर थाना क्षेत्रों में हुई आधा दर्जन से अधिक चोरियों की जांच में पुलिस ने हरियाणा-राजस्थान से सक्रिय महिपाल गिरोह के नरेश यादव को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने साथी परमिंदर तंवर के साथ मिलकर शहर में वारदातें करता था. दोनों क्रेटा कार से आते और सूने मकानों की रैकी कर चोरी को अंजाम देते थे. गिरफ्तार आरोपी नरेश से पुलिस ने करीब 36 लाख रुपए का माल बरामद किया. उसने बताया कि शेष चोरी का माल उसके साथी परमिंदर के पास है. इसके बाद पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा में कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन सभी प्रयास नाकाम रहे. लगातार विफलता के बाद इंदौर पुलिस ने परमिंदर तंवर पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया. दो बार विशेष टीमें उसकी तलाश में भेजी गईं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, फरार आरोपी पर दोनों राज्यों में 40 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस अब भी उसकी गिरफ्तारी के लिए सतत कार्रवाई कर रही है और उसके छिपे होने की संभावित जगहों पर निगरानी बढ़ाई गई है.

दो स्थानों से डोडाचूरा और एमडी ड्रग के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर. नारकोटिक्स विंग इंदौर ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडाचूरा और एमडी ड्रग की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों गिरफ्तारियां मुखबिर की सूचना पर की गईं. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पहली कार्रवाई में निरीक्षक दीपमाला घारू की टीम ने ग्राम रकोदा, मंदसौर निवासी ओंकार पिता भगतराम को नीमच-मंदसौर फोरलेन से पकड़ा. आरोपी के कब्जे से 40 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा बरामद किया. उसे मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. दूसरी कार्रवाई निरीक्षक भरत चावड़ी की टीम ने मुल्तानपुरा फंटा, मंदसौर से 44 ग्राम एमडी ड्रग के साथ प्रतापगढ़ (राजस्थान) निवासी हमीद शेख पिता अब्दुल शेख को गिरफ्तार किया. टीम को लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर निगरानी थी. दोनों मामलों में टीआई राकेश चौधरी, एएसआई महेश शर्मा, आरक्षक विरेंद्र सिंह, विवेक सिंह और शैलेंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही. पुलिस अब दोनों आरोपियों की सप्लाई चेन और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

रेप केस में बिना पर्ची इलाज करने वाले डॉक्टर को भी दबोचा

- डॉक्टर पर आरोपी की मदद कर पीड़िता का उपचार करने का आरोप
- नाम बदलकर शादी करने वाले आरोपी द्वारा युवती से मारपीट और ज्यादती का मामला

नव भारत न्यूज

इंदौर. नाम बदलकर और शादी का झांसा देकर युवती के साथ लिव इन में रहने वाले आरोपी द्वारा की जा रही मारपीट और ज्यादती के दौरान पीड़िता का बिना पर्ची इलाज करने वाले डॉक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि डॉक्टर आरोपी का दोस्त था. वह पीड़िता को लगी गंभीर चोटों का मेडिकल रिकॉर्ड जानबूझकर नहीं बनाता था.

विजयनगर पुलिस द्वारा दर्ज बलात्कार मामले की जांच में अहम मोड़ तब आया, जब आरोपी की सहायता करने वाले डॉक्टर की भूमिका उजागर हुई. युवती के बयान में बताया गया कि उस पर लगातार अत्याचार होते थे और मारपीट के कारण कई बार गंभीर चोटें आती थीं. यही नहीं, इन चोटों का इलाज उसका दोस्त डॉक्टर करता था. वह आरोपी की मदद करने के लिए बिना पर्ची के ही इलाज करता था और उसका कोई रिकार्ड ही नहीं तैयार करता था.

आरोपी डॉक्टर को भेजा जेल

थानेदार श्रद्धा पंवार ने डॉक्टर की इस भूमिका को गंभीर मानते हुए डॉक्टर को भी मामले में सह आरोपी बनाया. बुधवार को पुलिस टीम ने अस्पताल से उसे हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए. प्राथमिक जांच में पता चला है कि वह पिछले करीब 17 वर्षों से अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है.

धर्म परिवर्तन के लिए बनाता था दबाव, करता था मारपीट

जांच में सामने आया कि मूल रूप से देवास का रहने वाला हैप्पी उर्फ इरफान शाकिर अली नाम बदलकर युवती के साथ रह रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करता था. एक बार सिर में गंभीर चोट आने पर टांके लगाने तक की नौबत आई, लेकिन इलाज के दौरान कोई मेडिकल लीगल केस तैयार नहीं किया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि देवास-इंदौर रोड स्थित एपेक्स अस्पताल में मुलाम उर्फ बबलू हुसैन नामक डॉक्टर आरोपी को लंबे समय से जानता था. आरोपी मारपीट के बाद युवती को वहीं लेकर जाता था, जहां बिना किसी पर्ची के उसका उपचार कर दिया जाता था. इससे आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता लगातार टलता रहा.

एमआर-10 पर दौड़ा ऑटो, पुलिस ने पकड़ा तो निकला गांजे का जखीरा

- नशा विरोधी अभियान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
- दो आरोपियों से पांच किलो से ज्यादा गांजा जब्त

नव भारत न्यूज

इंदौर. नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में गांजा बरामद कर दो तस्करों को पकड़ा है. एमआर-10 पर चैकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे दो संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा तो उनके कब्जे से 5.145 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला. दोनों को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया गया है.

हीरानगर थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि एमआर-10 स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक ऑटो संदिग्ध हालात में खड़ा दिखा. टीम को देखते ही चालक ऑटो लेकर भागने लगा. इस पर तुरंत घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया. वाहन संबंधी कागजात और भागने का कारण पूछने पर दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. पंचों की मौजूदगी में ऑटो की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 5 किलो 145 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने वाहन सहित मादक पदार्थ जब्त कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों से गांजे के नेटवर्क, सप्लाई लाइन और स्रोतों को लेकर भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है.

खंगाला जा रहा आरोपियों का पुराना रिकार्ड

थाना प्रभारी का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि इनके संपर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है. गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी मूल रूप से खरगोन जिले के धूलकोट गांव का है, जो फिलहाल राऊ क्षेत्र में किराए से रह रहा था. वहीं, दूसरा आरोपी देवास जिले के सीमलीखेड़ा गांव का निवासी है और इस समय धूलकोट क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस का कहना है कि दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित पिछले नशा कारोबार की जानकारी भी खंगाली जा रही है.

जिला कोर्ट परिसर में दंपति पर हमला, चार पर प्रकरण दर्ज

इंदौर. जिला कोर्ट परिसर में एक दंपति से विवाद के बाद की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. घटना के दौरान पीड़ित पुरुष लहूलुहान हो गया. बीच-बचाव करने आई महिला को भी आरोपियों द्वारा धमकियां दी गईं. एमजी रोड थाना क्षेत्र में जिला कोर्ट परिसर के कॉफी हाउस के पास दंपति पर हुए हमले का मामला दर्ज किया है. शिकायत के अनुसार, दूधिया क्षेत्र निवासी दिनेशभाई जाट और उनके पति बालमुकुंद जाट किसी काम से कोर्ट आए थे. इसी दौरान वहां मौजूद वीरेंद्र ठाकुर ने अपने तीन नाबालिग साथियों के साथ उन्हें गाली-गलौज करना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने बालमुकुंद पर धावा बोलते हुए जमकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्रिप्टो में निवेश के नाम पर फेसबुक दोस्त ने 16 लाख ठगे

- ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिखाकर साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे
- 5 हजार में से एक हजार शिकायतें क्रिप्टो और शेयर निवेश से जुड़ी

नव भारत न्यूज

इंदौर. ऑनलाइन ठग ट्रेडिंग और क्रिप्टो निवेश का लालच दिखाकर शहर के लोगों से करोड़ों हड़प रहे हैं. साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इस साल प्राप्त करीब पांच हजार शिकायतों में से एक हजार से ज्यादा मामले क्रिप्टो और शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देने के हैं. इन मामलों में शहर के रिटायर्ड अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी और कई महिलाएं भी ठगी का शिकार बने हैं. इसी तरह एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें क्रिप्टो निवेश के नाम पर एक युवक से 16 लाख रुपए एंठ लिए गए.

ताजा मामले में विजय नामक युवक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 16 लाख रुपए की ठगी का केस दर्ज किया है. फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने उसे क्रिप्टो में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का भरोसा दिलाया गया और चरणबद्ध तरीके से लाखों रुपए ले लिए. इससे एक दिन पहले इंदौर के मोहम्मद हिदायतुल्ला के साथ 60 लाख की ऑनलाइन ठगी में शामिल एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, ठग सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते हैं, खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर चैट ग्रुप में जोड़ते हैं और नकली ऐप या वेबसाइट के जरिये निवेश करवाते हैं. शुरूआत में स्क्रीनशॉट दिखाकर मुनाफा दिखाया जाता है, लेकिन पैसे निकालने पर निवेशक को ब्लॉक कर दिया जाता है.

पुलिस लगातार चला रही साइबर पाठशाला और जागरूकता कार्यक्रम

साइबर टीम लगातार साइबर पाठशाला और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है. इसी वर्ष ब्रांच ने पीड़ितों के लगभग 12 करोड़ रुपए वापस भी करवाए हैं, बावजूद इसके रोजाना एक से दो नई शिकायतें ट्रेडिंग फॉड की दर्ज हो रही हैं. अधिकारी मानते हैं कि लालच और जागरूकता की कमी के कारण लोग लगातार इन गिरोहों का आसान निशाना बन रहे हैं. जागरूकता और सतर्कता ही इस ठगी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है.

समस्या | शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार करते हैं अनदेखी, नागरिक असहाय

कलेक्टर परिसर की पहली मंजिल पर घूमते आवारा श्वान

इंदौर. नगर निगम के वादे और उसे पर उनकी बड़ी लापरवाही का नतीजा यहां होता है कि आम जनता कई समस्याओं से जूझती हैं इतना ही नहीं शिकायत होने के बावजूद निगम अधिकारी घटनाओं को अनदेखा करते हैं.

लापरवाही का एक मामला ऐसा ही सामने आया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्ट्रीक डॉग पर कंट्रोल के लिए आदेश किए गए थे इस पर इंदौर महापौर द्वारा जल्दी कार्रवाई करने की बात कही गई थी. आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जारी हुए पूरे 11 दिन बीत चुके हैं और इस आदेश के बाद स्ट्रीट डॉग पर अंकुश लगने के कोई ठोस कदम शहर में नहीं दिखाई दे रहे हैं सार्वजनिक स्थान आम स्थान में पहुंच गया कॉलेज स्कूल परिसर अभी गिनती में नहीं आ रहा वही सरकारी कार्यालय एवं सरकारी अस्पतालों के परिसर में आवारा श्वानों का दिखाना आम बात है. नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही तो तब दिखी जब जिला कलेक्टर कार्यालय में आवारा श्वानों को घूमते देखा गया बात परिसर सीमा की होती तो कुछ अलग होता, लेकिन परिसर की दूसरी मंजिल जहां कलेक्टर कक्षा एवं जनसुनवाई कक्षा मौजूद है वही आवारा श्वानों मजे से टहलते नजर आए. यहां घटना सोमवार की थी जब जनसुनवाई में सैकड़ो पुरुष के अलावा महिलाएं एवं बच्चे पहुंचते हैं. ऐसे में स्ट्रीट डॉग की घटना होना खतरनाक साबित हो सकता था. स्ट्रीट डॉग आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम अधिकारियों की कार्रवाई में गति हैं.

इनका कहन। है...

निगम को चाहिए कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी करें ताकि लोग जहां पर भी स्ट्रीट डॉग देखें उसकी फोटो खींचकर सेंड कर सके ताकि कार्रवाई जल्दी सेंड कर सके ताकि कार्रवाई जल्दी हो सके. - इरफान खान

आदेश के बाद तो निगम को तुरंत टीम गठित करके कार्रवाई कर देना चाहिए साथ ही यहां जरूरी है कि उन क्षेत्रों को चिन्हित कर देना चाहिए जहां स्ट्रीट डॉग की तादाद ज्यादा है. - विनीत यादव

शहर काफी बड़ा है और सरकारी अस्पताल कार्यालय कॉलेज स्कूल सैकड़ो है ऐसे में निगम को इस अभियान में शहर की जनता का भी सहयोग लेना चाहिए जैसे स्वच्छता अभियान में सहयोग मिला था. - शुभम मालवीय

नवभारत
आवश्यकता है
देश के कई राज्यों से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवभारत पत्र समूह के इन्दौर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार रहेगा।

रिपोर्टर (पद-3)
कम से कम दो वर्ष के अनुभवी और पत्रकारिता तथा जनसंचार में उपाधि वालों को प्राथमिकता

उपसंपादक (पद-2)
इसी क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षीय अनुभवी को प्राथमिकता

मार्केटिंग एक्जीक्युटिव (पद-3)
इसी क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 वर्षीय अनुभवी को प्राथमिकता

डीटीपी कम्प्यूटर ऑपरेटर (पद-2)
कम से कम 5 वर्षीय अनुभवी को प्राथमिकता।

: संपर्क करें :
नवभारत - एच.आर डिपार्टमेंट, 6/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इन्दौर
+91 84358 90018 | E-mail : navindoremp@gmail.com